FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प घाणामगरा

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
भानाराम		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–143/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.11.2021	प्रार्थी भानाराम पुत्र चुतराराम जाति भाम्बी निवासी बीरावास तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प घाणामगरा में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 274 रकबा 1.7960 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276/1 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 346 रकबा 2.4513 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 1.0274 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 462/2 रकबा 1.3672 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 491/2 रकबा 1.1650 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 63/1 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.2652 हैक्टेयर, कुल खसरा 8 कुल रकबा 12.5800 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता चुतराराम पुत्र डूँगरराम की थी। चुतराराम का देहान्त 15 वर्ष पूर्व हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण संख्या 449 स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम भानाराम के बजा[illegible] गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भानाराम है[illegible]था [illegible]कारी दस्तावेज भी भानाराम के नाम [illegible] में निवेदन किया कि संयुक्त खाते[illegible]पुत्र चुतराराम के स्थान पर भानाराम पुत्र चुतराराम व[illegible] संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी भानाराम ने अपने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी भानाराम का आधारकार्ड आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत घाणामगरा द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 2 रतनाराम पुत्र जसाराम जाति भाम्बी निवासी बीरावास के बयान कलमबद्ध करायें गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में मानाराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम भानाराम के बजाय मानाराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 274 रकबा 1.7960 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276/1 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 346 रकबा 2.4513 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 1.0274 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 462/2 रकबा 1.3672 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 491/2 रकबा 1.1650 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 63/1 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.2652 हैक्टेयर, कुल खसरा 8 कुल रकबा 12.5800 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में मानाराम पुत्र चुतराराम के स्थान पर **भानाराम पुंत्र चुतराराम** जाति भाम्बी निवासी बीरावास तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम घाणामगरा में खु[illegible]या गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प घाणामगरा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
भानाराम पुत्र चुतराराम जाति भाम्बी निवासी बीरावास तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 143 / 2021

निर्णय **दिनांक** :— 12.11.. 2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रू[illegible] हमा[illegible] हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या—1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्दायलाह [illegible] होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 27[illegible] रकबा [illegible]960 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276 / 1 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 346 रकबा 2.4513 हैक्टेयर, ख[illegible] नम्बर 349 रकबा 1.0274 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 462 / 2 रकबा 1.3672 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 491 / 2 रकबा 1.1650 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 63 / 1 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.2652 हैक्टेयर, कुल खसरा 8 कुल रकबा 12.5800

हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में मानाराम पुत्र चुतराराम के स्थान पर **भानाराम पुंत्र चुतराराम** जाति भाम्बी निवासी बीरावास तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested